

STATEMENT SHOWING RAILWAY ACT CASES FOR THE MONTH OF AGUST-2012.

Sections	No. of Cases	Fine realized
137	360	143746
138	487	1824204
139	00	00
141	264	188770
142	00	00
143	03	00
144	731	432786
145	312	41300
146	11	5400
147	1231	214250
153	00	00
154	11	35200
155	498	47200
156	401	47450
157	00	00
159	342	39900
160	06	2000
161	00	00
162	546	40300
163	00	00
164	03	00
165	02	1000
166	00	00
167	26	2100
172	00	00
173	00	00
174	06	7000
175	00	00
176	00	00
180th	00	00
Total	9610	3072606

Statement showing RP(UP) Act cases for the month of AUG-2012

Year	No. of Cases detected	Value of Property Recovered	Arrest		
			OS	RE	RPF
AUG-2012	27	101529	59	00	00

Statement showing Theft of Railway Property Cases for the month of AUG 2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
AUG-2012	32	27	87291	101529	59	00	00

Statement showing Theft of Railway Material Cases for the month of AUG-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
AUG-2012	30	26	82291	96529	58	00	00

Statement showing Theft of Booked Consignment Cases for the month of AUG 2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
AUG-2012	02	01	5000	5000	01	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह जुलाई-2012 के दौरान किये गये अच्छे कार्यों का ब्यौरा

- इस माह रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चलाये गये अभियानों में 9,610 व्यक्तियों को अभियोजित कर उनसे बतौर जुर्माना 30,72,606 /—रु. की राशि वसूली गई है।
- 1) दिनांक 30.07.12 को मंसुनिकक्ष-जबलपुर से सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक मानसिंह हमराह स्टाफ त्वरित कार्यवाही कर घटनास्थल पर पहुँचे, मौके पर एसएम आधारताल, एसएसई/सीएण्डडब्ल्यू मय स्टाफ के उपस्थित थे। मौका मुआयना करने पर मालगाड़ी क्रमांक:ई/कॉनकोर रैक के वैगन नं. एसईसीआर-21140913593, ईसीआर-21100974824, ईसीआर-21100973346 से 03 गन डीव्ही मय सीआर चोरी होना पाया गया। उक्त मामले में रेल सम्पत्ति की चोरी होना पाये जाने पर रेसुब/पोस्ट जबलपुर में स्थानीयकृत अपराध क्रमांक : श्रठच्छ3ध्स्व छवण.23ध्डमबी.09ध्12 दिनांक 30.07.12 को पंजीकृत किया गया। दिनांक 01.08.12 को एसएसई/सीएण्डडब्ल्यू जबलपुर द्वारा उक्त मामले में चोरी गई रेल सम्पत्ति की कीमत के सम्बंध में रु. 45,000 /— रेल सम्पत्ति चोरी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मामले में चोरी गई सम्पत्ति की बरामदगी व अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास के तहत दिनांक 02.08.12 को आरोपी राकेश उर्फ गुड्डू पुत्र किषन लाल कोरी, उम्र 20 साल को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने छोटू उर्फ संतोष के साथ मिलकर घटनास्थल गुड्स लूप लाइन, रेलवे स्टेशन आधारताल से डीव्ही वाल्व की चोरी करना बताया व एक नग डीव्ही वाल्व को वसीम पुत्र मुईन उम्र 50 साल तथा 02 नग डीव्ही वाल्व गयासुद्दीन पुत्र बाबू खॉं, उम्र 40 साल को बेचना बताया। राकेश की निषानदेही पर वसीम के कब्जे से 01 नग डीव्ही वाल्व जप्ती की गई तथा गयासुद्दीन ने राकेश से खरीदी गई 02 नग डीव्ही वाल्व को मुईनुद्दीन उर्फ मोनू पुत्र मंसूर अहमद, उम्र 32 साल को बेचना बताया। गयासुद्दीन की निषानदेही पर मुईनुद्दीन के कब्जे से 02 नग डीव्ही वाल्व जप्त किये गये। उपरोक्त सभी आरोपियों को दिनांक 02.08.12 को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 12/2012 धारा 3 आरपी (यूपी) एक्ट, 1966 के तहत दर्ज किया गया, जिन्हें दिनांक 14.08.12 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में छोटू उर्फ संतोष को वांछित किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मामले में चोरी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति की बरामदगी कर ली गई है।
 - 2) दिनांक 06.08.2012 को दमोह स्टेशन प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक आर. सी. द्विवेदी ने दौराने ड्यूटी एक व्यक्ति को समय 14.35 बजे प्लेटफार्म नं. 02 पर पड़े बुकषुदा कार्टूनों में से एक कार्टून चोरी कर ले जाते हुए पकड़ा। सूचना पर सउनि/दमोह आर. के. चाहर ने पहुँच कर पूछताछ करने में उसने अपना नाम अजय यादव पुत्र विजय यादव, उम्र 23 साल बताया। समक्ष गवाहान पूछताछ किये जाने पर रेलवे प्लेटफार्म क्रमांक 02 पर पड़े बैटरी के कार्टूनों में से एक कार्टून उठाकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के अवैध कब्जे से रेलवे मार्का केवाईई 08250/एलटी 20 दमोह व कार्टून मार्का सीअआरोपीआरओ एक्सपर्ट बैटरी 10 नग, वजन करीबन 20 किलो, अनुमानित कीमत 5000 /— को समय 15.15 बजे जाँच कर कब्जा रेल सुरक्षा बल लिया गया। बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 08/27/12 धारा 3 आर.पी. (यूपी.) एक्ट पंजीकृत कर समय 18.30 बजे गिरफ्तारी शुमार की गई। मामले की जाँच सउनि दमोह श्री आर. के. चाहर द्वारा की जा रही है।
 - 3) दिनांक 14.08.2012 को गाड़ी संख्या 12321 अप हावड़ा-मुम्बई मेल के जबलपुर स्टेशन प्लेटफार्म नं. 01 पर समय करीबन 19.10 बजे आगमन पर उपनिरीक्षक जबलपुर पोस्ट श्री षिषिर कुमार साथ सउनि जबलपुर पोस्ट श्री बाबूलाल जांगिड़ साथ आरक्षक नौषाद अहमद द्वारा उक्त गाड़ी के पेन्ट्रीकार क्रमांक ईआर-98805 को अटेण्ड किया गया, जिसमें एक 13-14 वर्षीय लड़का मिला, जिसके सम्बंध में पेन्ट्रीकार मैनेजर सिकंदर राय से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि उक्त लड़का स्लीपर कोच में बैठा मिला था। बाद उक्त लड़के से रेसुब जबलपुर पोस्ट लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सौरभ कुषवाहा पुत्र श्रीकांत प्रसाद कुषवाहा, उम्र 14 साल बताया। लड़के के परिजनों से मोबाइल नं. 83820 31375 पर सम्पर्क कर सूचना दी गई तो सूचना पर उसका चचेरा बड़ा भाई नाम दिनेष कुमार कुषवाहा पुत्र श्री देवीचरण कुषवाहा, उम्र 26 साल वर्तमान हेड खलासी, डीजल शेड नई कटनी जं., उसी दिन समय करीबन 20.00 बजे आया, जिसे सुपुर्दगीनामे के तहत दो गवाहों के समक्ष बच्चे को सुपुर्द किया गया है।

- 4) दिनांक 17.08.12 को निरीक्षक प्रभारी सागर श्री प्रताप सिंह मय स्टाफ सागर को दौरान गप्त मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यक्ति के संदिग्ध अवस्था में होने की सूचना पर उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसके पास से 1,18,000/- (एक लाख अट्ठारह हजार रुपये) संदिग्ध पाये गये। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम रईस वल्द छुट्टन उम्र 41 वर्ष बताया, जिसे जीआरपी सागर को सुपुर्द किया गया। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जीआरपी सागर द्वारा अपराध क्रमांक 02/2012 धारा 41 (1-4), 379 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।
- 5) दिनांक 26.08.2012 को समय करीबन 21.30 बजे रेल सुरक्षा बल पोस्ट जबलपुर के प्रधान आरक्षक श्री दर्शन सिंह व प्रधान आरक्षक श्री महबूब खान, जो जबलपुर-गोसलपुर सेक्शन ड्यूटी पर तैनात थे, दौरान गप्त देवरी स्टेशन प्लेटफार्म नं. 01 के कटनी छोर पर दो ब्राउन कलर के बैग लावारिस हालत में पड़े मिले, जिन्हें उपरोक्त स्टाफ द्वारा समक्ष गवाहान खोलकर चेक करने पर उनमें गोवा शराब की 750 मिली की 25 नग बोतल तथा एक बोरी शराब की 180 मिली की 30 नग बोतल मिली, जिन्हें स्टाफ द्वारा रेल सुरक्षा बल पोस्ट जबलपुर लाया गया। विधिसम्मत कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्त आबकारी, जबलपुर को पत्राचार किया गया एवं शराब को दिनांक 27.08.2012 को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।
- 6) दिनांक 29.08.2012 को समय 20 से 08 बजे के षिफ्ट इंचार्ज सहायक उपनिरीक्षक जबलपुर श्री सुंदर सिंह द्वारा दौरान गप्त एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में प्लेटफार्म नं. 01 कटनी छोर पर दो बैग ले जाते समय स्टाफ की मदद से रोककर पूछताछ किया तो उसने अपना नाम पारस जैन पुत्र प्रेमचंद जैन, उम्र 20 साल बताया। बाद उसके बैग को खोलकर देखने पर उसमें देशी शराब की बोतलें थी। उक्त व्यक्ति के पास दो बैग में देशी शराब थी इस सम्बंध में कोई अधिकार पत्र, कोई खरीद फरोख्त की रसीद आदि उसके पास नहीं थी। तत्पश्चात् उसे आरपीएफ थाना जबलपुर लाकर देशी शराब की बोतलों की गिनती करने पर कुल 111 बोतलें पाव की थी जिसमें सफेद रंग की 24 बोतलें, जिस पर देशी मदिरा प्लेन एवं 87 लाल रंग की, जिस पर देशी मदिरा मसाला पाव की बोतलें थी। उपनिरीक्षक जबलपुर श्री षिषिर कुमार द्वारा उक्त व्यक्ति को विधिसम्मत कार्यवाही हेतु मय जप्तपुदा शराब के साथ सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, जबलपुर श्री दीपक नायक, एस. आई के सुपुर्द किया गया।
- 7) दिनांक 07.08.12 को इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म नं. 02/03 पर उपनिरीक्षक रामबाबू सिंह रेसुब बल थाना इटारसी को गप्त के दौरान चार नाबालिक लड़के घुमते हुए दिखाई दिए जिन्हें रेसुब थाना इटारसी लाया गया जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम 01. हर्ष पुत्र राजकुमार उम्र 09 साल 02. राजू पुत्र शंकर आयु 07 वर्ष 03. समीर पुत्र मों. सिराज उम्र 11 साल 04. अलाउद्दीन पुत्र हमीर उम्र 08 साल बताया तथा प्रत्येक लड़के के पास एक एक स्कूल बैग था जिस पर प्लेटफार्म ज्ञान मंदिर निवासी षाला बजरिया नागपुर का प्रमुख होना बताया। उक्त संस्था आरपीएफ, जीआरपी, सविल पुलिस तथा म्यूनिषिपल कारपोरेशन नागपुर के सहयोग से चलाना बताया। उपरोक्त घटना के संबंध में जीवोदय संस्था इटारसी में फोन नंबर 07572236191 पर संपर्क करने पर जीवोदय संस्था के प्रतिनिधी प्रशांत वानखेड़े निवासी-कृष्णा बिहार कालोनी पुरानी इटारसी जिला होषंगाबाद मोबाईल 9589811861 रेसुबल उपस्थित हुये जिन्हें उक्त घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी देकर उपरोक्त चारों लड़कों को समक्ष गवाहन सही हालत में अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।
- 8) दिनांक 20/21.08.2012 को रूठियाई रेलवे स्टेशन पर अपराध की रोकथाम हेतु समय 18.00 से 06.00 बजे तक रेसुब गुना के प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत चौरसिया आरक्षक रमेश कुमार पंथी आरक्षक प्रभुदयाल गुर्जर एवं आरक्षक विवेक कुमार कौषल हथियार गोला बारूद के साथ तैनात थे। ड्यूटी के दौरान समय करीबन 03.30 बजे गाड़ी संख्या 59821 कोटा भिण्ड पैसेंजर के प्लेटफार्म नं. 01 पर आने पर एक व्यक्ति एक एयर बैग लेकर संदिग्ध अवस्था में निकलता हुआ दिखाई दिया। स्टाफ द्वारा रोके जाने पर वह भागने लगा तब उक्त आरपीएफ तथा जीआरपी स्टाफ आरक्षक 151 सुरेन्द्र कुमार पटवा एवं आरक्षक 286 शेख शफीक द्वारा तत्परता एवं सुझबुझ से कार्य करते हुए घेराबंदी कर पकड़ लिया गया तथा पूछताछ करने पर अपना नाम पप्पू लोधा पुत्र रामप्रसाद लोधा उम्र 25 साल निवासी बताया तथा उक्त बैग को गाड़ी से चोरी करना बताया। उक्त बैग के मालिक हेतु उद्घोषणा करवाई गई। उद्घोषणा उपरांत एक व्यक्ति नाम जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल उम्र 23 वर्ष उपस्थित हुआ तथा बैग उसका होना बताया। एवं उस बैग में 15 नए जीन्स के पेन्ट तथा एक छोटे बैग में 29000/-रु. कुल कीमत 35000/-रुपये रखे होना बताया। उक्त व्यक्ति गाड़ी संख्या 59821 कोटा भिण्ड पैसेंजर से बारा से गुना तक सामान्य कोच में यात्रा कर रहा था। बाद पकड़े गए व्यक्ति को मय बरामद एयर बैग तथा फरियादी जयप्रकाश अग्रवाल के साथ जीआरपी थाना गुना, अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंपा गया। जहां जीआरपी गुना द्वारा पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 56/12 धारा 379 भा.दं.सं. दिनांक 21.08.12 के तहत दर्ज कर मामला जांच में लिया। मामले की जांच सअनि श्री ओम प्रकाश राजे जीआरपी थाना गुना द्वारा की जा रही है।

- 9) दिनांक 06.08.2012 को प्र.आर. अवधेष सेन व प्र.आर. एम.एस.चौधरी द्वारा रेल अधिनियम की रेड के दौरान बीना स्टेशन प्लेटफार्म नं. 03 पर गाड़ी सं. 12137 डाउन पंजाबमेल के सामान्य कोच से 02 लड़किया बद्दहवास हालत में उतरकर उपरोक्त स्टाफ के पास आई तथा बताया कि उन्हें जबरदस्ती आगरा ले जाया जा रहा है। बाद दोनों रेसुब स्टाफ के द्वारा दोनों पीड़ित लड़कियों को रेसुब थाना बीना लाया गया तथा पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम 01. टिकू पुत्री स्व. सूनील हालदार उम्र 20 साल नि. पश्चिम बंगाल 02. प्रीति पुत्री स्व. मोनोजीत, माता सुप्रिया उम्र 24 साल पश्चिम बंगाल बताया। तथा बताया कि वह अपने परिवार के भरण पोषण हेतु बीड़ी बेचने का कार्य करती है इसी दौरान उन्हें बाबी नामक एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है ने बताया कि वह घर का काम जिसमें एक माह में 40,000 रु दिलवाएगी और बाद में उन्हें घर छोड़ देगी। दिनांक 06.08.12 को तीनों लड़कियों को मुंबई से आगरा पंजाब मेल ले जा रही थी, उसी दौरान बीना स्टेशन पर दोनों लड़कियों के द्वारा शौचालय जाने का बहाना करके चलती गाड़ी से उतर गई। बाद उक्त घटना की सूचना जीआरपी बीना को दी गई। सूचना पर जीआरपी बीना के उपनिरीक्षक श्री एच.एस. यादव द्वारा रेसुब थाना बीना आकर उक्त घटना की जानकारी प्राप्त की गई। बाद उक्त जानकारी मं.सु.नि.कक्ष भोपाल के माध्यम से मं. सु.नि.कक्ष झांसी को दी गई तथा निरीक्षक रेसुब बीना द्वारा निरीक्षक रेसुब झांसी को उक्त घटना की सूचना देते हुए उक्त गाड़ी को अटैण्ड करने बाबत सूचित किया गया। बाद रेसुब बीना की महिला आरक्षक ज्योति इंग्ले द्वारा दोनों पीड़ित लड़कियों के कथन दर्ज करते हुए विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई तथा दोनों लड़कियों के पास अपने परिजनों का

मोबाइल इत्यादि कोई सम्पर्क नहीं मिलने पर दोनों को भोपाल स्थित बचपन संस्था के सुपुर्द करने हेतु महिला आरक्षक ज्योति इंगले तथा आरक्षक यादवेन्द्र तिवारी के साथ भोपाल भिजवाया गया।

- 10) दिनांक 17.08.12 को समय 02.15 बजे निरीक्षक प्रभारी रेसुब बीना स्टेशन गफ्त एंव बीट चेकिंग रवाना हुए। दौराने गफ्त सउनि अषोकनगर राजेन्द्र कुमार द्वारा सुबह करीबन 05.00 बजे मोबाइल पर सूचित किया कि रेसुब उपथाना अषोकनगर में एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश कुमार सेन द्वारा अपनी पुत्री पूजा उम्र 19 साल के रात को गुस्से में घर छोड़कर चले जाने की सूचना दी गई। सूचना पर प्रआर एम.एस.चौधरी व आरक्षक अषोक मन्ने को उक्त गुमषुदा लड़की की तलाष हेतु प्लेटफार्म नं. 02 व 05 पर भेजा गया जहां कोटा दमोह पैसेंजर का आगमन होना था। तलाष करने पर गुमषुदा लड़की प्लेटफार्म नं. 02 के एस.टी.डी. बूथ के पास खड़ी दिखाई दी जिससे संदेह के आधार पर पूछताछ करने पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा नाम पूछने पर उसने अपना नाम पूजा बताया। बाद उक्त दोनों रेसुब स्टाफ द्वारा लड़की को रेसुब थाना बीना लाया गया जहां रेसुब सउनि एस.एस.कुण्डू द्वारा लड़की को समझाइष देकर वापस घर जाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उपथाना अषोकनगर को संदेश देकर उसके परिजन को रेसुब थाना बीना में उपस्थित होकर अपनी पुत्री को ले जाने हेतु अवगत कराया गया। बाद उसके पिता सुरेश सेन के रेसुब थाना में उपस्थित होने पर सउनि एस.एस.कुण्डू के द्वारा लड़की के पिता को लड़की के साथ संयमित व्यवहार करने की सलाह के साथ लड़की को उसके पिता के सुपुर्द किया गया।
- 11) दिनांक 04.08.2012 को रेल सुरक्षा बल थाना बीना से 16-24 बजे षिपट ड्यूटी पर प्लेटफार्म क्रमांक 1 से 4 तक भोपाल छोर पर प्र.आर. नंदलाल महोबिया को तैनात किया गया था। प्रधान आरक्षक की ड्यूटी के दौरान समय 16.30 बजे प्लेटफार्म क्रमांक 4 पर गाड़ी संख्या 11015 कुषीनगर एक्सप्रेस के आने पर प्रधान आरक्षक द्वारा सामान्य कोच चेक किया गया। सामान्य कोच क्रमांक म.रे.-93706 को चेक करने पर उक्त कोच में तीन नाबालिक लड़कियों को रोते हुए देखकर कोच के अन्य यात्रियों से उन लड़कियों के रोने का कारण पूछा जिस पर यात्रियों द्वारा बताया गया कि लड़कियाँ अपने परिवार से बिछड़ गई है जिस कारण रो रही है। प्र.आर. द्वारा उन बच्चियों को समझा-बुझा रे.सु.बल थाना लाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम 1. फातिमा पुत्री बदरुद्दीन उम्र 12 वर्ष निवासी- बिहार 2. माजिदा पुत्री वाजिद अली उम्र 10 वर्ष निवासी- बिहार एवं 3. रूखसाना पुत्री रहीमुद्दीन उम्र 7 वर्ष निवासी- बिहार बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वे तीनो बिहार से अरबी पढ़ने के लिए भोपाल आयी थी आज दिनांक 04.08.12 को वे माजिदा के पिता वाजिद अली के साथ वापस गाँव जा रही थी। भोपाल स्टेशन पर कुषीनगर एक्सप्रेस गाड़ी के आने पर प्लेटफार्म व गाड़ी दोनों में ज्यादा भीड़-भाड़ होने व जल्दवाजी में गाड़ी में चढ़ने के लिए वे वाजिद अली से बिछड़ गई एवं गाड़ी में चढ़ गई जबकी वाजिद अली बच्चियों से न मिल पाने के कारण स्टेशन पर ही छूट गये। उक्त तीनों में से बड़ी फातिमा द्वारा अपने घर (बिहार) का मोबाइल नंबर 09903952682 बताया गया जिसे फोन किये जाने पर फातिमा के बड़े भाई अब्दुल रहमान से बात हुई। अब्दुल रहमान द्वारा बताये अनुसार रे.सु.बल थाना बीना में मो. शफीक खॉन उम्र 25 वर्ष व नाजिम खॉन आत्मज नासिर खॉन उम्र 22 वर्ष के रेसुब थाना पर आने पर उक्त तीनों लड़कियों द्वारा पहचानने पर सुपुर्दगी पंचनामा तैयार कर सुपुर्द किया गया।

26.

- 12) दिनांक 11.08.12 को उपनिरीक्षक एम.पी.शर्मा रेसुब उपथाना हरदा को गफ्त के दौरान गाड़ी क्र. 11016 कुषीनगर एक्सप्रेस के हरदा स्टेशन प्लेटफार्म नं. 03 पर आगमन पर एक बालक अकेले घुमते हुए मिला उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम ऋतिक सिंह पुत्र जुगल प्रसाद सिंह उम्र 12 साल बताया तथा अपनी मां श्रीमति सुनेष देवी का मोबाइल नं. 8127914975 बताया। उक्त मोबाइल नं. पर उसके परिजनों को सूचना दी गई कि दिनांक 12.08.12 को उक्त बालक की माता श्रीमति सुनेष देवी पत्नि जुगल प्रसाद सिंह रेसुब उपथाना हरदा में उपस्थित हुई। जहां समक्ष गवाहान उक्त बालक ने अपनी मां को पहचाना बाद श्री एम.पी.शर्मा उपनिरीक्षक रेसुब हरदा के द्वारा समक्ष गवाहान सुपुर्दगी नामें के तहत उक्त बालक उसकी माता के सुपुर्द किया गया।
- 13) दिनांक 23.08.12 को इटारसी स्टेशन पीएफ नंबर 01 पर उपनिरीक्षक रामबाबू सिंह को गस्त के दौरान 01 नावलिंग लड़की घूमते हुये मिली, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पायल पिता नूर मोहम्मद आलम आयु-13 साल बताया तथा बताया कि वह अपने बहन के पास मुम्बई जा रही थी। उक्त लड़की पढी लिखी न होने के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही थी कि किस गाड़ी से यहा उतरी है उसके पास मिले एक पर्चे पर दो मोबाईल नंबर 9305370299, 8626051787 लिखा मिला, जिस पर संपर्क करने पर दोनों मोबाइल बंद मिले। बाद निरीक्षक रेसुबल इटारसी को संपूर्ण घटना के संबंध में अवगत कराते हुये उनकी अनुमति प्राप्त कर उक्त घटना के संबंध में बताया गया बाद जीवोदय संस्था के सिस्टर स्नेहल और नाज खान थाना उपस्थित हुई उन्हें उक्त घटना के संबंध में जानकारी दी गई तथा उपरोक्त लड़की को सही हालत में उचित कार्यवाही हेतु उनके ताबे में दिया गया।
- 14) दिनांक 23-24.08.12 को 20.00 से 08.00 की षिपट में तैनात श्री विद्यासागर शर्मा प्रधान आरक्षक रेसुब हबीबगंज तथा सउनि आर.के.चौबे के साथ गफ्त पर के दौरान समय करीबन 04.00 बजे प्लेटफार्म नं. 01 स्थित फूड प्लाज़ा के सामने एक सुटकेष, पिट्टू बैग तथा काला बैग सीट पर लावारिष हालत में पड़ा मिला, जिसे उक्त प्रधान आरक्षक द्वारा रेसुब थाना हबीबगंज लाया गया। जिसमें सामान एवं 69000/- के साथ कागजात जिस पर नाम पता व मोबाइल नं. 9424654309 लिखा मिला। उक्त मोबाइल नं. पर संपर्क किया गया तो उक्त सामान के साथ यात्रा करने वाला यात्री ने रीवांचल एक्सप्रेस के कोच क्र. एस-1 पीएनआर नं. 810-5452605 एक्स हबीबगंज से सतना की यात्रा करना बताया। उक्त यात्री दिनांक 24.08.12 को रेसुब थाना हबीबगंज में उपस्थित हुआ तथा आवष्यक कार्यवाही कर उक्त यात्री को उसका सामान व नकद रूपये उसे सुपुर्द किया गया उक्त प्रधान आरक्षक द्वारा अपना कर्तव्य निष्ठा एवं इमानदारी के साथ करते हुए यात्री सामान की सुरक्षा कर सराहनीय कार्य किया है।
- 15) दिनांक 27.08.12 को श्री रामबाबू सिंह उपनिरीक्षक रेसुबल थाना इटारसी स्टेशन को गफ्त के दौरान 01 बालक रोते हुये मिला जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रेमचंद पुत्र राधेप्याम आयु 11 साल निवासी उ0प्र0 बताया तथा बताया कि वह अपने पिताजी के साथ झांसी जा रहा था, लेकिन रास्ते में बिछड़ गया है और यहा आ गया है, उसे अपने घर जाना है। उक्त बालक से पूछताछ करने पर उसने ताउ के लडके का मोबाईल नंबर 9795789840 बताया जिस पर संपर्क करने पर

मोबाईल रिसेव करने वाले व्यक्ति को उक्त बालक के संबंध में अवगत कराने पर प्रेमचंद को अपना चचेरा भाई होना बताया तथा बताया कि वह स्कूल से भाग गया है। बाद समस्त आवश्यक कार्यवाही उपरांत जीवोदय संस्था को दूरभाष नंबर 07572236191 पर संपर्क कर संस्था के प्रमुख श्री तेज सिंह को सही हालत में ताबे में दिया गया। दि. 28.08.12 को उक्त बालक के पिता श्री राधेध्याम पटैल, उम्र 46 वर्ष निवासी बांदा उ.प्र. तथा के उपस्थित होने पर रेसुब थाना इटारसी के द्वारा जीवोदय संस्था से सम्पर्क कर उक्त बालक को रेसुब थाना इटारसी बुलवाया गया, जिस पर उक्त बालक द्वारा श्री राधेध्याम पटैल को अपने पिता के रूप पहचाना गया बाद दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जीवोदय संस्था के क्वैडिनेटर श्री प्रशांत बानखेड़े के द्वारा उक्त लड़के प्रेमचंद को उसके पिता श्री राधेध्याम पटैल को सही व पाक-साफ हालत में सुपुर्द किया गया।

- 16) दिनांक 20.08.2012 को सजनि बृजपाल सिंह कोटा पोस्ट को गस्त के दौरान कोटा स्टेशन पर एक बालक घबराई हुई हालत में मिला, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मनीष मीणा पुत्र श्रीराम प्रताप मीणा, उम्र- 13 वर्ष, निवासी- बालाकुण्ड केषवपुरा के पास कोटा राज0 बताया। बाद समस्त कानूनी कार्यवाही कर उक्त बालक को स्वयं सेवी संस्था चाइल्ड लाईन कोटा के सुपुर्द किया।
- 17) दिनांक 22.08.2012 को सजनि विषन लाल शर्मा कोटा पोस्ट को गस्त के दौरान कोटा स्टेशन पर एक बालक घबराई हुई हालत में मिला, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रोहित बैरवा पुत्र श्री बनवारी लाल बैरवा, उम्र- 12 वर्ष, निवासी- गांव-गडार, गंगापुरसिटी राज0 बताया। बाद समस्त कानूनी कार्यवाही कर उक्त बालक को स्वयं सेवी संस्था चाइल्ड लाईन कोटा के सुपुर्द किया।

27.

- 18) दिनांक 29.08.2012 को सजनि बृजपाल सिंह कोटा पोस्ट को गस्त के दौरान कोटा स्टेशन पर एक बालक घबराई हुई हालत में मिला, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गणेश पुत्र श्री राजू सोनी, उम्र- 09 वर्ष, निवासी- संतोषी नगर, कच्ची बस्ती, थाना महावीर नगर कोटा (राज0) बताया। बाद समस्त कानूनी कार्यवाही कर उक्त बालक को स्वयं सेवी संस्था चाइल्ड लाईन कोटा के सुपुर्द किया।
- 19) दिनांक 23.08.2012 को प्रधान आरक्षक मोहन सिंह की ड्यूटी इन्टर चेन्ज प्वाइन्ट नागदा स्टेशन पर थी। गाडी सं0 19023 डाउन जनता एक्स0 के समय 22.10 बजे नागदा स्टेशन आने पर उक्त प्र0आ0 द्वारा दोनों एसएलआर को चैक किया गया। बाद समय 22.25 बजे गाडी को चलने के लिए सिगनल मिला और गाडी ने व्हीसिल दी उसी दौरान गाडी के वीपीयू नं0 एसई-08829 से धुंआ निकलता देख दौड़कर गाडी के ड्राइवर के पास जाकर गाडी रूकवाई तथा स्टेशन मास्टर नागदा व अन्य अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया गया। अधिकारियों के स्टेशन पर पहुँचने पर वीपीयू को काटकर अलग किया गया तथा गाडी को समय 23.45 बजे रवाना किया।
- 20) ग्रीष्मकाल में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 325 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम (क्तवीपइपजपवद व किअमतजपेमउमदज दक तमहनसंजपवद व जतंकमए चतवकनबजपवदए नचचसल दक कपेजतपइनजपवद बजए 2003इ के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 65,000/- रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

- 1) दिनांक की 22.06.2012 को समय करीबन 00.30 बजे रेलवे स्टेशन विक्रमपुर में 00-08 बजे की शिफ्ट में कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर श्री सिद्धार्थ रंजन वल्द श्री जवाहर लाल, उम्र 28 साल तथा प्वाइंट्समेन श्री प्रदीप कुमार मेहरा वल्द श्री प्रहलाद सिंह मेहरा, उम्र 30 साल के साथ दो बाहरी व्यक्तियों 1. भरत लोधी वल्द हरिसिंह लोधी उम्र 25 साल, तथा 2. सतीष कुमार अवस्थी वल्द स्व. श्री लालजी अवस्थी, उम्र 30 साल द्वारा नषे की हालत में धारदार हथियार व लाठी से मारपीट कर सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय में तोड़फोड़ की गई व रेलकर्मियों को जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों बाहरी व्यक्ति भाग गये। घटना की सूचना मिलने पर निरीक्षक/रे.सु.ब./जबलपुर, सिटी पुलिस श्रीधाम व जीआरपी/गाडरवारा के अधिकारी हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना कर दोनों बाहरी व्यक्तियों के उपरोक्त पते पर दबिष दी गई किन्तु दोनों फरार होना पाये गये। उक्त घटना के संबंध में एसएंडटी विभाग के जे.ई. /श्रीधाम व यातायात निरीक्षक/श्रीधाम के साथ संयुक्त तौर पर पंचनामा तैयार किया गया। घटना के कारण यात्री गाडियां विक्रमपुर स्टेशन पर विलंबित हुई। उक्त घटना में क्षतिग्रस्त रेल संपत्ति की कीमत एसएंडटी विभाग द्वारा 7000/- रु. आंकी गई है। पीड़ित रेलकर्मियों की शिकायत पर जीआरपी/गाडरवारा द्वारा मामला अ.क्र.67/2012 धारा 294, 323, 353, 427, 506/34 भा.दं.सं. दिनांक 22.06.2012 को कायम कर विवेचना में लिया गया। मामलें में की गई सुरागरसी एवं प्रयासों के तहत दिनांक 04.07.2012 को रेल सुरक्षा बल मदन महल चौकी प्रभारी श्री भोलाप्रसाद मेहरा एवं प्रधान आरक्षक श्री शीतल सिंह चौहान के अथक प्रयासों के तहत कथित मामलें में फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जीआरपी गाडरवारा को सुपुर्द किया गया है।
- 2) दिनांक 07.07.2012 को दौराने गस्त स.उ.नि./सागर श्री रघुवीर सिंह को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि पार्सल कार्यालय सागर के गेट के बाहर ऑटो क्रमांक एमपी-15-एलए-1164 में पांच बोरे तम्बाखू युक्त गुटका लोड है जो कहीं बाहर से बुक होकर आये है। बोरों पर मार्का एलकेओ-एसजीओ- 4873-पी-एससीबीएवाई लिखा था। उक्त 05 बोरे दिनांक 06.07.12 को गाडी क्रमांक 22161 राजरानी एक्सप्रेस से भोपाल से सागर के लिये बुक होकर आये थे जिनकी डिलेवरी दिनांक 07.07.12 को दी जा चुकी है। माल के मालिक अमित लछवानी वल्द बिहारीलाल लछवानी को पार्सल कार्यालय/सागर से पकड़कर आरपीएफ थाना/सागर लाया गया तथा सूचना कस्टम सेन्ट्रल एक्साइज एवं सर्विस टेक्स सागर को दी गई। सूचना पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग सागर-। के निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिन्हा आरपीएफ थाना/सागर में उपस्थित हुए। एक बोरे को खोलकर देखने पर उसमें तम्बाखू युक्त गुटका होना पाया गया। 05 बोरे तम्बाखू युक्त गुटका की कीमत 50,000/- रु. आंकी गई जिसका बाजार में बिक्री मूल्य 1,17,000/- रु. आंका गया। उक्त माल को सेन्ट्रल एक्साइज सागर के सुपुर्द किया गया।

- 3) दिनांक 16.07.2012 को मदन महल आउट पोस्ट प्रभारी श्री भोला प्रसाद मेहरा द्वारा समय 09.10 बजे एक बाहरी व्यक्ति को दौरान गप्त शक के आधार पर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सतीष पिता सालीग्राम, उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 908/7 गंगासागर रोड़, गढ़ा, जबलपुर बताया। उसके पास से 04 टिकट क्रमः पीएनआर नं. 243-7604449 एक्स जबलपुर से नाषिक रोड़ किराया 504/- रु. दिनांक 21.07.2012 के लिए, पीएनआर नं. 820-4304835 एक्स नाषिक रोड़ से जबलपुर किराया 594/- रु. दिनांक 25.07.2012 के लिए, पीएनआर नं. 233-70666400 एक्स जबलपुर से नाषिक रोड़ किराया 1546/- रु. दिनांक 21.07.2012 के लिए, पीएनआर नं. 842-6586957 एक्स नाषिक रोड़ से जबलपुर किराया 1726/- रु. दिनांक 15.07.2012 तथा नगद 580/- रु. मिलें। टिकटों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि ग्राहकों के लिए टिकट बनवाते हैं। जिन्हें जप्ती पत्र के साथ जप्त किया गया तथा जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 7797/12 अन्तर्गत धारा 143 रेल अधिनियम में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी शुमार की गयी। आरोपी को दिनांक 16.07.2012 को रेलवे कोर्ट जबलपुर में पेश किया गया, पश्चात् आरोपी को अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की जाँच सहायक उपनिरीक्षक श्री भोला प्रसाद मेहरा, मदन महल द्वारा की जा रही है।
- 4) दिनांक 28.07.2012 को गाड़ी संख्या 11093 डाउन महानगरी एक्सप्रेस के श्वेत् के फर्स्ट कम्पार्टमेंट से लेट्रिन की प्लाई तोड़कर अपराधियों द्वारा बुक साड़ियों की चोरी की सुचना पर रेसुब निरीक्षक मय स्टाफ तथा जी.आर.पी. से उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह छाबड़ा अपने स्टाफ व अधिकारियों के साथ में गाड़ी को अटैण्ड किया तो पाया कि सहायक उपनिरीक्षक श्री आर. जी. शर्मा व आरक्षक मोहनलाल द्विवेदी व अन्य जी.आर.पी. स्टाफ व यात्रियों की मदद से पांच बाहरी व्यक्तियों को 07 बैग के साथ में पकड़कर रखा है पकड़े गये 05 संदिग्ध व्यक्तियों के पास बड़े-बड़े बैगों को चेक करने पर नई-नई विभिन्न प्रकार की साड़ियों के साथ पकड़ा गया। साड़ियों के सम्बंध में खरीदी रसीद पावती आदि बावत् पूछताछ करने पर उन्होंने अपने पास बैग में रखी साड़ियों को टायलेट की प्लाई तोड़कर श्वेत् में लदे पार्सल के बण्डलों को फाड़कर चोरी करना स्वीकार किया। सहायक उपनिरीक्षक ने मौकें की कार्यवाही करते हुए जप्ती पंचनामा व आरोपियों के कथन दर्ज किये गये तो पाया कि पकड़े गये आरोपियों, जिनके नाम क्रमः 1. कल्लू उर्फ मुमताज आत्मज मोहम्मद शहीद, उम्र 50 वर्ष 2. यदुनंदन आत्मज अनुज चौहान, उम्र 45 वर्ष, 3. अलीजान हुसैन आत्मज अली हुसैन, उम्र 25 वर्ष 4. अनवर आत्मज मोहम्मद शमीम, उम्र 18 वर्ष एवं 5. मोनू यादव आत्मज विष्णु यादव, उम्र 18 वर्ष के अवैध कब्जे से कुल 06 नग थान एवं 103 नग जरी वाली साड़ियों थान व साड़ियों की कुल कीमत 63,500/- रु. जप्त कर मौकें की कार्यवाही पूर्ण की गई तथा पकड़े गये पांचों आरोपियों को आरपीएफ थाना सतना लाकर उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर अपराध संख्या : सीआर नं. 07/12 अन्तर्गत धारा 3 (ए) आरपी (यूपी) एक्ट 1966 दिनांक 29.07.2012 कायम कर मामला जाँच में लिया गया।
- 5) दिनांक 14.07.12 को निरीक्षक रे0सु0बल बीना हमराह स्टाफ के साथ करीबन 21.00 बजे प्लेटफार्म पर अपराध की रोकथाम हेतु गस्त करते समय प्लेटफार्म क्रमांक 02 पर एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में अपने आपको छुपाने की कोशिश करते हुये पाया। जिसे बुलाने व पूछताछ करने पर वह भागने लगा जिस पर हमराह स्टाफ द्वारा उसे पकड़ा गया। पूछताछ करने व उसके सामान की तलाशी लेने पर उसके थैले से स्पेशल लक्स सोप, व्योकारपिन आयल की बाटल, टूथब्रश एवं टूथपेस्ट तथा एक तौलिया मिला जिसके बारे में उसने बताया कि गाड़ी में लावारिस मिला था तो मैं रख लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम केहर कुशवाहा उम्र 18 वर्ष पिता गंगुआ कुशवाहा बताया तथा बताया कि वह चैन पुलिंग के केश में इंदौर में पकड़ा गया था और 03 माह जेल में रहा था बाद रेल सुरक्षा बल थाना बीना में उक्त संदिग्ध व्यक्ति का एस-2 फार्म भरा गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी थाना बीना को सुपुर्द किया गया। जीआरपी बीना द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध धारा 109 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 15.07.12 को न्यायालय में पेश किया गया।
- 6) दिनांक 18.07.2012 को उपनिरीक्षक श्रीमति सरिता बटेल हमराह आरक्षक सागर सिंह मीणा द्वारा गस्त के दौरान भोपाल स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 01 पर आई गाड़ी संख्या 12630 के रवाना होते ही आफ साईड से एक व्यक्ति एक ट्राली बैग लेकर धीमी गति से प्रस्थान हो रही गाड़ी से इटारसी छोर पर उतरते हुए देखा। मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक द्वारा गाड़ी से उतरे व्यक्ति की संदिग्धता को भापते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए हमराह आरक्षक की मदद से उतरने वाले व्यक्ति को दौड़कर पकड़ा गया। मौके पर पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम व पता संदीप गौर पुत्र अनिरुद्ध गौर उम्र 25 साल बताया एवं उसके पास के बैग के बारे में पूछने पर गाड़ी संख्या 12630 से किसी यात्री का चोरी करना स्वीकार किया। उक्त व्यक्ति को मय बैग के रेसुब-थाना भोपाल लाया गया एवं थाने पर समक्ष गवाहन बैग को खोलकर सूची तैयार की गयी तथा मामले में कानूनी कार्यवाही हेतु जीआरपी भोपाल को फार्म-एस-2 के साथ सुपुर्द किया गया। मामले में जीआरपी भोपाल द्वारा उक्त आरोपी को अपराध क्रमांक 28/2012 धारा 41(1-4) सीआरपीसी व 379 आईपीसी दिनांक 18.07.12 को गिरफ्तार किया गया है।
- 7) दिनांक 19.07.12 गाड़ी क्रमांक 12853/12854 में रेसुबल थाना इटारसी यार्ड से अनुरक्षण डियूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक अनौखी लाल सरवरे, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत नगाईच, आरक्षक राजेन्द्र कुमार खंडाते अनुक्षण हेतु गाड़ी पर तैनात थे। गाड़ी में गस्त के दौरान 02 व्यक्ति को संदेह की हालत में पकड़ा और गाड़ी में तैनात टिकिट चैकिंग स्टाफ द्वारा उनका टिकिट चैक कराया तो उनके पास यात्रा हेतु कोई टिकिट नहीं था। बाद दोनों ने अपना नाम पता 01.शाहिद पुत्र अब्दुल अजीज 02. राजेश पुत्र भगत सिंह दोनों ही गाड़ी में उत्पात मचा रहे थे शाहिद के पास दो पर्स व एक मोबाईल मिला एक पर्स जिसमें 1720 रुपये मिले जो किसी और का होना पाया गया बाद शक के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी इटारसी को उक्त दोनों व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया दोनों ने गाड़ी में पर्स चुराना बताया बाद जीआरपी इटारसी द्वारा उक्त दोनों व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 152/153/2012 धारा 379 आईपीसी के तहत मामला कायम कर जाच में लिया।

- 8) दिनांक 25.07.12 को डिप्टी एस एस बीना ने फोन के माध्यम से सूचित किया कि बीना स्टेशन पीएफ क्रमांक 2 पर आने वाली गाडी संख्या 18507 डाउन हीराकुंड एक्सप्रेस के सामान्य कोच क्रमांक ईसीओ 938493 की लेट्रिन में एक व्यक्ति घुस गया है तथा दरवाजे नहीं खोल रहा है उक्त सूचना पर सउनि एस एस कुण्डू हमराह स्टाफ आरक्षक पवन कुमार को साथ लेकर उक्त गाडी के सामान्य कोच को अटैण्ड किया लेट्रिन के अंदर एक व्यक्ति मिला तथा उसके पास एक सफेद प्लास्टिक की बोरी मिली जिसमें कुछ सामान भरा हुआ था तथा पूछताछ किया तो उसने अपना नाम कृष्ण चंद्र नायर उर्फ कन्नू पुत्र मोहन चंद्र नायर उम्र 20 साल बताया तथा संदिग्धता के आधार पर सूचना तत्काल जीआरपी बीना को दी गई सूचना पर जीआरपी बीना के सहायक उप निरीक्षक बीरेन्द्र सिंह बघेल द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ किया तो उसने बोरी को अपना होना बताया जिसे समक्ष गवाहन खोलकर देखा तो उसमें प्लास्टिक की पन्नी के पैकेटों में गीला गांजा पाया गया जिसका बजन स्टेशन पर ही कराया गया तो कुल 6.900 किग्रा गांजा निकला जिसकी कीमत लगभग 21000/-रुपये पाई गई। जिसे जीआरपी बीना द्वारा अपने तावे में लिया। बाद आरोपी को माल मुल्जिम सहित जीआरपी थाना बीना लाया गया जहा आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 117/12 धारा 42:2इ एनडीपीएस एक्ट के तहत दिनांक 25.07.12 को दर्ज कर जांच में लिया गया।
- 9) दिनांक 19.07.2012 को उपनिरीक्षक रे.सु.बल उपथाना छनेरा मय स्टाफ प्रधान आरक्षक सलीम खान व आरक्षक डी0के0शर्मा तथा सिविल पुलिस व जीआरपी स्टाफ के साथ गाडी क्रं. 51187 भुसावल-कटनी यात्री गाडी के आगमन समय 14.00 बजे से उक्त ट्रेन, प्लेटफार्म व सर्कुलेटिंग एरिया में चैकिंग के दौरान समय 14.05 बजे मुसाफिर खाना छनेरा के सामने सर्कुलेटिंग एरिया में एक व्यक्ति को संदेह की अवस्था में खड़े देखने पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजू माहेश्वरी पुत्र नारायण माहेश्वरी आयु-28 वर्ष बताया, उसके पास दिनांक 19.07.2012 को समय 8.49 बजे भुसावल स्टेशन से भुसावल से छनेरा की यात्रा हेतु लिया गया सामान्य श्रेणी यात्रा टिकिट संख्या 71583483 पाया गया। बाद उसके पास रखे काले रंग के लगेज बैग को चैक करने पर उसमें 16 पैकेट्स राजश्री गुटखे व 30 पैकेट विमल गुटखे कीमत करीबन 3500/-रु0 पाये गये। बाद उक्त व्यक्ति को पकड़कर उपथाना छनेरा लेकर आये, जहां जप्ती पत्र के तहत उक्त गुटखे के पैकेट्स जप्त किये गये एवं उक्त गुटखे प्रतिबंधित सामग्री होने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी खंडवा को सूचना दी गई। उक्त सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी खण्डवा श्री राधेश्याम गोले रे0सु0बल उपथाना छनेरा में उपस्थित होने पर उक्त व्यक्ति को मय जप्तशुदा उक्त प्रतिबंधित सामग्री के लिखित प्रतिवेदन के साथ वास्ते वैधानिक कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर पावती प्राप्त की गई।
- 10) दिनांक 05.07.2012 को गाडी सं. 12264 अप निजामुद्दीन-पूणे दूरन्तो एक्स. से कोटा स्टेशन पर एक महिला घबराई हुई हालत में उतरी। उपनिरी. वैष्णवी तिवारी व सउनि बीरबल सिंह ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम लक्ष्मी पत्नि परसुराम, उम्र 21 साल बताया तथा पति द्वारा उससे झगडा करने के कारण वह निजामुद्दीन स्टेशन से उक्त गाडी में बैठे गई जिसे ऑन ड्यूटी टीटीई राजबीर सिंह ने कोटा में उतार दिया। बाद समस्त कानूनी कार्यवाही कर उक्त महिला को नान्ता रोड कोटा में स्थिति नारी निकेतन होम को सुपुर्द किया गया।
- 11) ग्रीष्मकाल में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 402 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकू अधिनियम (क्तवीपइपजपवद व िकअमतजपेमउमदज दक तमहनसंजपवद व िजतंकमए चतवकनबजपवदए नचचसल दक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003इ के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 80,400/- रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

.....